बहुजनों का बहुजन भारत

व्यवस्था परिवर्तन के लिए समर्पित हिन्दी साप्ताहिक

जन्म तिथि- 28 फरवरी, 1928

नई दिल्ली | वर्ष 17 अंक 09 | संपादक-वामन चिंधूजी मेश्राम | 26-03 मार्च, 2018 | प्रकाशन तिथि 04 मार्च, 2018 | पृष्ठ-8,मूल्य-5 रूपये | वार्षिक सहयोग राशि-250 रूपये

बामसेफ संस्थापक सदस्य दिवंगत मा.दीनाभानाजी का 90वां जन्य-जयन्ती पर "बहुजनों का बहुजना भारत" साप्ताहिक पत्रिका परिवार की ओर से आप सभी पाठकों को हार्दिक अभिनंदन....

पाली (राजस्थान) में बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा का दो दिवसीय कैडर कैम्प सफलतापूर्वक संपन्न।

किसी भी आन्दोलन की सक्षमता संगठन के ऊपर निर्भर है और संगठन की सक्षमता कार्यदक्षता और कार्यक्षमता पर निर्भर होती है-मा.वी.एल.मातंग

जयपुर/राजस्थान

देश में व्यवस्था परिवर्तन का आन्दोलन चलानेवाले संगठन बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले पाली (राजस्थान) में दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण शिविर मादेने का काम मा.वी.एल.मातंग (राष्ट्रीय प्रचारक, बामसेफ) ने किया।

25 और 26 फरवरी 2018 को आयोजित इस प्रशिक्षण शिविर में सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित डेलीगेट साथियों को मा.वी.एल.मातंग ने बताया कि दुनिया में जितने भी आन्दोलन चलाये गए उनको कामयाव बनाने में सबसे अधिक योगदान प्रशिक्षित लोगों का रहा है। ठीक उसी प्रकार का काम आज हमें अपने महापुरूषों के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए करना होगा, जो आज भी अधूरा है। यदि इतिहास को आधार बनाकर इसका आंकलन किया जाय। भारत में जो व्यवस्था काम कर रही है उसका आधार वर्ण और जाति है।

आपने विस्तारपूर्वक ऐतिहासिक जानकारी देते हुए कहा कि परिवर्तन का भी सिद्धान्त है। जो विचारपूर्वक स्वीकार कर ले, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। जो अज्ञानता में गलत बात स्वीकार कर ले, उसमें परिवर्तन हो सकता है। परिवर्तन के भी सिद्धान्त को समझना जरूरी है। अगर आप ब्राह्मण को परिवर्तित करना शुरू करोगे तो वह परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि वह यह अज्ञानता में नहीं कर रहा है बल्कि विचारपूर्वक कर रहा है। ब्राह्मण अगर हमारे साथ गैरबराबरी का व्यवहार कर रहा है, तो वह इसलिए नहीं कर रहा है कि आपकी तरह वह अज्ञानी है। ब्राह्मण यह गैरबराबरी का व्यवहार जानबूझकर कर रहा है क्योंकि गैर-बराबरी में उसकी आस्था है, उसका विश्वास है, उसका यकीन है। क्योंकि ब्राह्मणों का ब्राह्मण धर्म ऐसा करने के लिए उनको सिखाता है। ब्राह्मणों के शास्त्रों में यह लिखा हुआ है। अगर कोई मुसलमान ये कहे कि ब्राह्मण तो आपको हिन्दू कहता है, तो मेरा मुसलमानों को ये कहना है कि ब्राह्मण अगर हमको हिन्दू कहता है तो उसे कहने दो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्राह्मणों से हमलोग निपट लेंगे।

आपने बताया कि इसी व्यवस्था के कारण आज पूरा 85 प्रतिशत बहुजन समाज आजाद भारत में गुलाम बना हुआ है। इसका मूल कारण शासक वर्ग है जिसकी व्यवस्था समाज में आज भी स्थापित है जिसको भारतीय संविधान के लागू होने के बाद भी खत्म नहीं किया जा सका है। इसका कारण भी शासक वर्ग है, क्योंकि उसने संविधान का आज तक ईमानदारी से पालन नहीं किया है। ऐसी जाति, वर्ण व्यवस्था पर आधारित असमानतावादी व्यवस्था के खिलाफ हमारे महापुरूषों ने आन्दोलन चलाया जो आज भी अधूरा है। जिसको खत्म करने के लिए ही अधिक मेन पावर का निर्माण करने के लिए संगठन द्वारा ऐसे प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन पूरे देशभर में किया जा रहा है। जिससे अधिक से अधिक मेन पावर को एकत्र करके इस देश में स्थापित असमानतावादी व्यवस्था खत्म करके समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। हमारे महापुरूषों ने इस ब्राह्मण तथा मूलनिवासी बहुजन समाज में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को खत्म करने का आन्दोलन हमारे महापुरूषों ने शुरू किया था, क्योंकि प्रशिक्षित लोग ही यह काम ठीक ढंग से कर सकते हैं।

इस प्रशिक्षण शिविर में बड़ी संख्या में एससी, एसटी, ओबीसी एवं धर्मपरिवर्तित अल्पसंख्यक लोगों ने हिस्सा लिया।

हम अपने घर से रूढ़ीवाद और अंधविश्वास को भगाने का काम करेंगे। यही हमारा प्रथम उद्धेश होना चाहिए–उदय नारायण चौधरी

(अंक ४ का शेष अंश)

भारत सरकार का नेशनल क्राईम ब्यूरों का जो रिपोर्ट है, वह कहता है कि इन दस सालों में ६६ प्रतिशत अत्याचार बढ़े हैं। आज समय आ गया है, हम सभी लोग आँख खोलकर इन चीजों को देखें। अगर हम नहीं देखेंगे, तो दूसरी तरफ आवाज दी जा रही है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। हमारे नेता भी जिनको हमलोगों ने हमारा जन-प्रतिनिधि चुनकर संसद और विधानसभाओं में भेजा है। वे दबाव में बोलते हैं कि मोहन भागवत ठीक कहते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। हमारे बीच में ठीक उसी तरह से हमारे ये जन-प्रतिनिधि बैठे हैं, जैसे जंगल में कोई शियार, बाघ का खाल ओढ़कर बैठा हो, वही नकली खाल ओढ़कर हमारे समाज के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं और वे कहते हैं कि, 'मोहन भागवत ठीक कहते हैं।' मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ कि अगर आरक्षण नहीं होता तो वे संसद और विधानमण्डल में पहुँच सकते थे क्या? अगर उनमें ताकत है तो स्वतंत्र रूप से चुनाव में गैर आरक्षित सीटों पर खड़े होकर देख ले तो मैं जान जाऊँगा। ये अन्दर ही अन्दर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश ब्राह्मणवादियों के द्वारा चल रही है।

ब्राह्मणवादियों के द्वारा ईवीएम के माध्यम से भारत में डेमोक्रेटिक सिस्टम को समाप्त करने की साजिश हो रही है। अभी तक भारत में डेमोक्रेसी लागू नहीं हुई है। हम इसको कहते हैं कि भारत में दो तरह की डेमोक्रेसी है। एक डेमोक्रेसी प्रोसिडियोर (प्रक्रियात्मक) डेमोक्रेसी है, जिसके आधार पर हम कहते हैं कि भारत दुनिया में एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। जो ३१ प्रतिशत वोट पर राज कर रहा है, वह कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है। वह हमारे जन-प्रतिनिधियों के द्वारा सांसद और विधानसभा में केवल हाँ करवाता है। किसी को भी बोलने की हिम्मत नहीं है। ब्राह्मणवादी पार्टी जो कहती है, केवल उसमें वह हाँ कह देता है। यह भी एक डेमोक्रेसी है। मगर एक दूसरा वास्. तविक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसमें किसी को भी यह हिम्मत नहीं है कि वो पार्टी में अपने ने. ताओं के गलत नीतियों के खिलाफ बोल सके। इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत में डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रह गई है। भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं। आज की डेमोक्रेसी डिक्टेटरशीप में तब्दील हो गई है। केवल कहने के लिए भारत दुनिया में सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक देश है।

१५ सूत्रीय अल्पसंख्यक कार्यक्रम को लागू करना था मगर अभी तक इस कार्यक्रम को लागू नहीं किया गया। अगर अल्पसंख्यक समाज का आदमी थैली में मुर्गे और बकरे का मांस लेकर जा रहा है और ब्राह्मणवादी संगठन के लोगों को मालूम हो जाता है तो वह कहता है कि गाय का मांस लेकर जा रहा है और वे लोग उसे मार देते हैं। ऐसी घटनाएं कई जगह घटित हो गई है और कहा की भीड़ ने हत्या कर दिया तो किस पर मुकदमा होगा? ये माहौल केन्द्र की बीजेपी सरकार ने बनाया है। लव-जेहाद, ऐन्टीरोमियों, घर वापसी, राम मन्दिर और गौ-रक्षा के नाम पर ऐसा करने वाली तथा ऐसी विचारधारा वाली सरकार का पर्दाफाश करना होगा। इसे पर्दाफाश करने वाले स्वतंत्र रूप से जो पत्रकार बोलता है तो उसके मुँह को बन्द करवाने के लिए गौरी लंकेश जैसी पत्रकारों की हत्या करवाई जा रही है। हम इसकी निन्दा करते हैं। इंसान और इंसान के बीच में नफरत पैदा करने वाली ऐसी हुकूमत को उखाड़ फेकेंगे तभी हमारा यह मूलनिवासी बहुजन समाज मुख्यधारा में आ सकेगा, नहीं तो नहीं आ सकेगा।

उच्च शिक्षा में २ प्रतिशत भी आरक्षण लागू नहीं हुआ है। आपको मूलनिवासी बहुजन समाज का ना वाईस चान्सलर (प्रति कुलपति) मिलेगा, न डीन मिलेगा और न ही प्रोफेसर मिलेगा। उच्च शिक्षा में हमारे समाज के लोग कहीं नहीं मिलेंगे और ब्राह्मणवादी लोग कहते हैं कि शिक्षा में समानता है। यह कैसी समानता है? यह केवल मिड-डे-मील में खिचड़ी के माध्यम से खाना वाली समानता हो रही है। हमारे बच्चों को भी समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए। इसीलिए प्रा. ईवेट स्कूल को समाप्त करके शिक्षा के क्षेत्र में एकीकरण होना चाहिए और एक समान शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, ''चाहे एक राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान।'' सबके लिए एक समान शिक्षा होनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारे यहाँ आ. जादी मिल रही है।

अभी भारत में जो माहौल बना है, उसमें एक गरीब का देश हो गया है और एक चन्द पूँजीपति परिवार वालों का देश है। मैं कल ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि मात्र २७ पूँजीपति परिवारों को बैंको से १२ लाख से १५ लाख करोड़ रूपये का कर्ज मिला हुआ है। मात्र इन २७ उद्योगपतियों के परिवारों को १२ लाख से १५ लाख तक का कर्जा दिया गया है। इन उद्योगपतियों को लाखों-करोड़ों रूपये माँफ कर दिये जाते हैं। गाँव के एससी, एसटी, ओबीसी और मायनॉरिटी के लोगों को कर्ज के रूप में विशेष अंगीभूत योजना में जो राशि दी गई है, उसे वसूली के लिए प्रशासन के द्वारा उनका दमन किया जाता है। ये ब्राह्मणवादी सरकार का नजरिया है। कार लोन ८ प्रतिशत सूद पर मिलता है और किसान लोन ६ प्रतिशत से ६.५ प्रतिशत के सूद पर मिलता है। आज किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। इस देश की जो परिस्थिति बनी है और जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वे यहाँ से एक संदेश लेकर जाईयेगा कि मूलनिवासी बहुजन समाज जहाँ कहीं भी हो, वो एक सूत्र में बंध जाए। जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, अगर वे दस खेमा में रहेंगे तो आपको अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपलोग एक बैनर और एक छाता के नीचे आईये और जब हमारी आवाज कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक निकलेगी तो उसके नीचे सबको आना होगा और फिर 'जो मूलनिवासी की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा' का माहौल बनेगा। •

दलितों की दुर्दशा कारण और निवारण

भारत में दलितों की दुर्दशा का मुख्य कारण वर्ण-व्यवस्था तथा उसके परिणाम स्वरूप हिन्दू समाज में व्याप्त जाति-व्यवस्था है। इसके ही कारण समाज हजारों साल से गुलाम रहा है और देश की चौथाई जनता को गुलामों और पशुओं से बदतर जीवन जीने पर मजबूर होना पड़ा। ब्राह्मणों ने ऋग्वेद में पुरूषसूक्त को जोड़कर बताया कि ईश्वर ने चातुर्वर्ण्य का निर्माण किया। मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ईश्वर ने सब का कर्म निर्धारण किया। ब्राह्मण सबसे उच्च श्रेणी में हैं, उनका कार्य विद्याध्यय, विद्या दान, दान ल`ना है। क्षत्रियों का कार्य देश्ज्ञ की रक्षा, वैश्यों का कार्य व्यापार, कृषि व पशुपालन है तथा शूद्रों का कार्य ऊपर के तीनों वर्गो की सेवा करनाक है। ऊपर के तीनों वर्ण द्विज कहलाते हैं और केवल इन्हीं का उपनयन संस्कार हो सकता है। श्रीकृष्ण ने गीता में कहता है ''चार्तुवर्ण्य'' मैंने बनाये हैं और उनका कर्म निर्धारित किया है जो अपने कर्म से विमुख होगा वह पाप का भागी होगा। श्रीकृष्ण ने गीता के चौथे अध्याय के तरहवें श्लोक व अठारहवें अध्याय के ४१, ४२,४३ और ४४ श्लोक में बिल्कुल स्पश्ट कर दिया है कि शूद्रों का कार्य केवल द्विजों की सेवा करना है। इससे विमुख होने पर वे पाप के भागी होंगे। पुरूष सुक्त के मंत्र ११ व १२ विश्वोत्पत्ति का वर्णन मात्र नहीं है। ये समाज के विशेष विधान (चातुर्वर्ण्य) को ईश्वरीय आदेश बताते हैं। आपस्तम्ब धर्मसूत्र के अनुसार जातियां चार-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र हैं। इन चारों में पहली जाति क्रमशः दूसरी सभी जातियों से श्रेष्ठ है। श्शूद्र और निकृष्ट कार्य करनेवाले (दलितों) को छोड़कर सभी को उपनयन का तथा वेदाध्ययन करने व यज्ञ और यज्ञोपवीत धारण सकरने का अधिकार है। मनु ने पुरूष-सूक्त के आदर्श को ईश्वरीय आज्ञा के रूप में नये सिरे से प्रतिपादित किया और कहा कि संसार की समृद्धि के लिए ईश्वर ने चातुर्वर्ण्य बनाया। मनु ने एक और व्यवस्था दी और कहा कि वेद ही धर्म का एक मात्र औरी अंतिम आधार है। मनु ने पुरूष-सुक्त में प्रतिपादित चातुर्वर्ण्य के सामाजिक आदेश, विधान तथा असंदिग्धता की परिधि में आवेष्ठित कर दिया जो पहले नहीं था।

स्वामी विवेकानंद ने एक बुकलेट ''माड़र्न इण्डिया'' के पृष्ठ ६६ पर लिखा है कि अगर शूद्र वर्ग में कोई विलक्षण बुद्धि का पुरूष पैदा हुआ तो उच्चवर्गीय आर्यो ने उसका बड़ा सम्मान किया और उसे अपने वर्ग (उच्च वर्ग) में सम्मिलित कर लिया, किन्तु उसकी योग्यता ातथा बुद्धिमता का भरपूर लाभ अपने (उच्च वर्ग) हितों के लिए ही किया, जो गंदे और अयोग्य लोग उच्च वर्ग में थे, उन्हें निकाल बाहर कर शूद्र वर्ग में फेंक दिया। उदाहरण-स्वरूप वशिष्ठ, नारद, सत्यकाम जावाल व्यास, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य तथा कर्ण आदि व्यक्ति जिनका जन्म संदिग्ध था और जो शूद्र वर्ण के थे, विद्धान होने के कारण ब्राह्मण वर्ग में जो लिए गए। सत्यकाम जावाल (मां शूद्र पिता अज्ञात) व्यास (पिता पाराश्ज्ञर ब्राह्मण व मां शूद्र मत्स्यागन्धा, कुमारी सत्यवती) कृपाचार्य (पिता कुंती व पिता सूर्य)। संदर्भ वशिष्ठ (अध्याय १४८ आदि पर्व महाभारत या ऋग्वेद ७,३३,११-१३ (२) नारद (अध्याय ६ स्कंध श्रीमद्भागवत), ३ सत्यकाम जावाल (धारा-४ प्रपल्हका ४ छान्दोग्य उपनिषद्), (४) ५,३ एवं (अध्याय १०५, १३०, १११ क्रमशः आदि पर्व महाभारत)।

किन्तु ब्राह्मणशाही ने राष्ट्र व समाज के हितों की अनदेखी करते हुए भारतीय समाज की ६५ प्रतिशत जनता (दलित तथा शूद्र) को शास्त्र धारण करने से वंचित कर दिया। मनुस्मृति जैसे ग्रंथ की रचना करके दलित व शूद्र समाज के समस्त मानवीय अधिकारों जैसे-शिक्षा, व्यवसाय, सम्पत्ति अर्जित करना, आत्मरक्षार्थ भी शस्त्र धारण करने आदि से वंचित कर दिया। शास्त्रों की माने तो दलित समाज द्विजों के उतरे हुए वस्त्र धारण कर सकता है, जो कुछ वे दें उसे खाकर जीविको पार्जन करके, धातु के बर्तन प्रयोग नहीं करेगा, धन संग्रह नहीं करेगा, आदि। कुत्ते, बिल्ली आदि पशुओं को तो द्विज छू लेते थे पर दलितों को छूना पाप है, उनकी छाया से दूर रहे। दलितों के अतिरिक्त शूद्रों (यादवों, कुशवाहा, कुर्मी, लाध, गुर्जर, रेड्डी आदि) को भी अंग्रेजों के आने के पूर्व शिक्षा आदि मानवीय अधिकारों से वंचित रखा।

आर्य समाजी भी मानते हैं कि भारतीय आर्य समुदाय के चारों वर्ण प्राचीन काल से प्रचलित हैं और वेद शाश्वत हैं आदि, अनंत और संवेहातीतहै। यह प्रचार करके आर्य सामाजियों ने हिन्दू समकाज को एक जड़ समाज बनाकर अहित किया। बाबासाहब डा.अम्बेडकर का मानना है कि वेदों के कुछ अंश विशेषतया पुरूष सूक्त ब्राह्मणों की कल्पना मात्र हैं, जो उनकी स्वार्थपूर्ति करते हैं। बाबासाहब डा.अम्बेडकर ने आगे कहा कि शूद्र वंश क्षत्रिय आर्यो के सूर्यवंशी समुदाय के थे और आर्य समुदाय केवल तीन वर्णो ब्राह्मणों क्षत्रिय व वैश्य में विभाजित था। शूद्र राजाओं के और ब्राह्मणों में अनवरत संघर्ष होते रहते थे और ब्राह्मणों को शूद्रों द्वारा किए गये उत्पीड़न से त्रस्त होकर ब्राह्मणों ने फलस्वरूप शूद्र ावंश के क्षत्रियों का उपनयन संस्कार बंद कर दिया। उपनयन संस्कार से वंचित होने पर शूद्र जो क्षत्रिय थे, उनका सामाजिक ह्रास हो गया और उनका दर्जा वैश्यों के नीचे ही गया और वे ाचौथे वर्ण में आ गये। पुरूष सुक्त का सिद्धान्त आशय से अपराधिक और परिणाम से समाज विरोधी है। यदि वे व गीता तथा मनु द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का पालन होता तो शूद्र वर्ग के मा.चेन्ना रेड्डी, राम नरेश यादव, कर्पूरी ठाकुर, मुलायम सिंह यादव, डी.संजीवैऽया आदि मुख्यमंत्री न बर पाते तथा बाबासाहेब डा.अम्बेडकर, जगजीवन राम आदि उच्च पदों पर न पहुँच पाते। आज भी डा.के.आर.नारायणन का राष्ट्रपति पद पर आसीन होना असंभव होता।

''मुसलमानों का भी देश में सात सौ वर्ष शासन रहा, परन्तु इस्लाम धर्म समात व बंधुत्व पर आधारित होते हुए भी ये इस्लामी शासक उच्च वर्गीय हिन्दुओं के सहयोग से दलित वर्ग का उत्पीड़न ही करते रहे, जो दलित वर्ग से इस्लाम धर्म में गये उन्हें भी मुस्लिम समाज के नीचले पायदन पर ही रखा। हिन्दु-नाई-हजाम, डफाली, रंगरेंज, कसाई, धोसी, फकीर, धुनिया, आदि निम्न जातियों में ढ़केल दिए गये और शेख, पठान तथा शिया जो उच्च वर्गीय शासक वर्ग के मुसलमान थे, इन निम्न वर्ग के मुसलमानों से दलितों जैसा व्यवहार करते थे। परन्तु इस पर भी इनमें अस्पृश्यता नहीं थी और खान पान में भी कोई भेदभाव नहीं था। गरीब होने के बावजूद इन दलित मुसलमानां पर कोई अत्याचार नपहीं कर सकता था। आज भी सवर्ण साहस नहीं कर सकता कि गरीब मुसलमानों की झोपड़ी में आग लगा दे या उनसे दुर्व्यवहार करे। कारण यह है कि देश व विदेश के सारे मु. सलमान उनके साथ हैं और जरा सी बात पर बावेला खड़ा कर देंगे।

आज स्वतंत्रता के ५३ वे वर्ष हो गये तथा भारतीय संविधान को लजागू हुए ५० वर्ष हो गये, परन्तु दलितों की दशा में जो सुधार होना चाहिए, वह नहीं हो पाया। कारण है कि इसे लागू करनेवाले ईमानदार नहीं हैं और मनुवादी विचारधारा से बुरी तरह ग्रसित हैं। आज भी केन्द्रीय व प्रांतीय सरकार की नौकरियों में आरक्षण पूरा नहीं पाया। दलितों के विकास के लिए जो धन आवंटित होता है, उसका अधिकांश भाग अधिकारी तथा कर्मचारी मिल कर खा जाते हैं। पिछले कई वर्षो से अखबारों में निकल रहा है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में अनुसूचित जाति के छात्रों को आवंटित धनराशि से करोड़ों रूपये का गबन हो रहा है। दलितों के विकास की अनेक योजनाओं ठप्प पड़ी है, अम्बेडकर ग्रामों के विकास की योजनाओं भी बंद कर दी गई है।

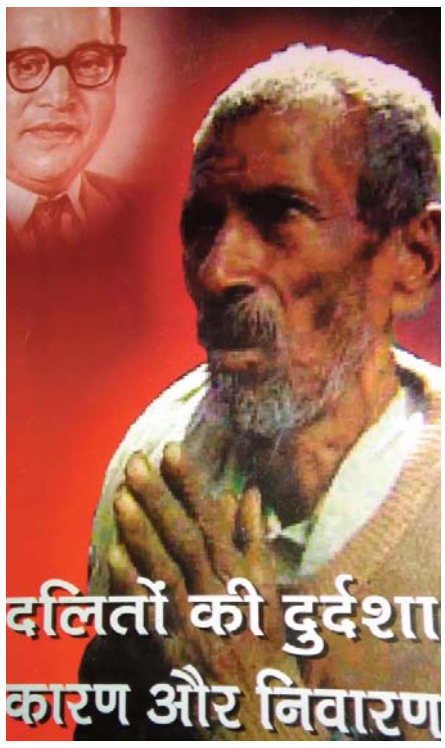

भारत में दलितों पर दमन और शोषण के विरूद्ध संगठित ढ़ंग से सर्वप्रथम आवाज बाबासाहब डा. अम्बेडकर ने उठायी और उनको शोषणमुक्त करके समस्त मानवाधिकार दिलाने का संकल्प किया। इसके लिए उन्होंने आजीवन महान संघर्ष किया और इस लक्ष्य-प्राप्ति में उन्हें बड़ी सफलता भी मिली। इसलिए उन्हें निर्बलों और दलितों का मसीहा कहा जाता है। बाबासाहब के आदर्शों का लेखक के जीवन पर अत्याधिक प्रभाव पड़ा जो उनके लेखन में स्पष्ट झलकता है।

शेष अगले अंक में...

संपादकीय...

"अपने मुंह मिया मिट्ठू" बन रही मोदी सरकार।

केन्द्र की मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने निम्न स्तर पर पहुँचा दिया है। यह अब किसी से छिपा नहीं है। वहीं हमेशा चीन से आगे निकलने की रट लगानेवाली भाजपा सरकार में अर्थ-व्यवस्था छोटे देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान आदि जैसे देशों से भी नीचे जा चुकी है अर्थात वहाँ की अर्थ-व्यवस्था भारत की अर्थ-व्यवस्था से कई गुना आगे पहुँच चुकी है। इसके बावजूद भारत सरकार अपनी नालायकी को छुपाने एवं देश की भोली-भाली जनता को गुमराह करने के लिए यह बताया जा रहा है। भारत की (जीडीपी) चीन की जीडीपी से आगे हो गई है, जो अपने मुँह मिया मिट्ठू बनना है। वहीं इस झूठ को लोगों में प्रचारित करने का कार्य ब्राह्मण-बनिया मीडिया बड़े पैमाने पर कर रही है।

मालूम हो कि चालू वित्त वर्ष (2017-2018) की अक्टूबर -दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी विकास दर 7>2 फीसदी बतायी जा रही है। जबकि भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ निम्न स्तर पर जा चुकी है। अगर वास्तव में भारत की जीडीपी अच्छी है तो बेरोजगारी, भुखमरी, किसान आत्म-हत्या क्यों बढ़ी है? आदि सवाल भारत सरकार के अच्छी जीडीपी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं।

चालू वित्त वर्ष 2017>18की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में देश की जीडीपी दर 7>2 फीसदी बतायी जा रही है। वहीं इससे पहली तिमाही यानि जुलाई-सितंबर के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6>5 फीसदी बतायी गई थी। वहीं वार्षिक आधार पर वित्त वर्ष 2018की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी 7 फीसदी बतायी गयी थी, वित्त वर्ष 2018 में यह जीडीपी 6>6 फीसदी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।

ज्ञात रहे जितने भी भारतीय अर्थशास्त्री हैं लगभग सभी उच्च वर्गीय हैं जो भाजपा की मोदी सरकार को दीर्घ समय तक बनाये रखने के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट तैयार करते हैं। इसलिए अर्थशात्रियों के ज्यादातर पोल में जीडीपी ग्रोथ के 6>5 फीसदी को बढ़ाकर 6>9 फीसदी रहने का अनुमान घोषित किया है। इतना ही नहीं इन अर्थशात्रियों ने देश की जनता को मूर्ख बनाने के लिए भारत की जीडीपी को चीन की जीडीपी 6>8 से आगे कर दिया है, जो दुनिया के सामने अपने को इन लोगों ने महामूर्ख होने का प्रमाण दे दिया है।

मालूम हो कि संघ संचालित मोदी सरकार की नोटबंदी, जीएसटी एवं देश में हो रहे घोटालों की वजह से देश, विकासशील से भी माइनस में चला गया है अर्थात अब उसे फिर से विकासशील बनने में सैकड़ों साल लग जाऐंगे। इसी जीडीपी ग्रोथ के नीचे गिरने के कारण किसान आत्म-हत्या, बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध, भुखमरी, गरीबी आदि का बड़े पैमाने पर फैलाव हुआ है, जिसकी जद में आकर मूलनिवासी बहुजन तड़प-तड़प कर बेरोजगारी की खाई में गिरते जा रहे हैं।

!! जय मूलनिवासी !!

बामसेफ के नींव का पत्थर

किसी भी भवन का जब निर्माण करना होता है तो सर्वप्रथम उस भवन के लिए नींव खोदी जाती है और नींव खोदने के बाद उस नींव के अन्दर ईंटे या पत्थर लगाये जाते हैं। जितनी मजबूत आधारशिला होगी, उतना ही मजबूत भवन होगा। कोई भी नींव का पत्थर नहीं बनना चाहता, क्योंकि नींव का पत्थर तो भवन के नीचे छिप यानी दब जाता है और वह किसी को नजर भी नहीं आता है। लेकिन भवन का निर्माण करने से पहले उस नींव के अन्दर पत्थर तो लगाना अति आवश्यक है। बामसेफ रूपी भवन के निर्माण में किसने नींव के पत्थर का महान कार्य किया इस पर भी कुछ लिखा जाना चाहिए। मैंने मा.दीनाभाना जी बामसेफ रूपी भवन के निर्माण के नींव का पत्थर है। उनके पूरे जीवन की कुछ मुख्य घटनाओं का विवरण यहाँ देना चाहता हूँ।

दिवंगत दीनाभाना का जन्म राजस्थान के जयपुर जिमें में २८ फरवरी १९२८ को बागास गांव में हुआ और तब भारत में अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। उन्होंने मुझे बताया कि राजस्थान राजा-महाराजाओं की भूमि हुआ करता था और उसमें जयपुर तो और कहीं ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था। उनका बचपन से जाति प्रथा कि चुभन और पीड़ा मुझे सताया करती थी। अंग्रेजी सरकार के होते हुए भी ब्राह्मणवाद अपना ताण्डव नृत्य कर रहा था और उन्हें अपने घर से बाहर निकलते समय ''पासे-पासे'' कहना पड़ता था। ''पासे' यानि इसका अर्थ होता है पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओं भंगी आ रहा है। हालांकि दिवंगत दीनाभाना जी तो बच्चे थे और वे कोई सफाई का धंधा भी नहीं करते थे। पानी पीने के लिए ठाकुरों और ब्राह्मणों ने अछूतों के लिए एक लकड़ी की नाली बना रखी होती थी और उस लकड़ी की नाली से हमें पानी पिलाया जाता था और कई बार तो उच्चवर्णीय ठाकुरों हमें यह कहकर पानी नहीं पिलाते थे कि उनके पास लकड़ी की नाली नहीं है और उन्होंने यह भी बताया कि जब वे अपनी माँ के साथ सफाई का धंधा करने जाते थे तो जब प्यास लगती थी तो हमारे लिए लग ही मिट्टी का बर्तन पानी पीने के लिए रखा होता था और उसी बर्तन में पानी पीना पड़ता था।

एक और घटना जो मा.दीनाभाना के बचपन में गुजरी, जिसने उनके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। उसका वर्णन भी अति जरूरी है। दीनाभाना के पिता भानाजी ने उस गांव के जाट को ढकोला या खादी बनाकर दी, जिसमें पशुओं को चारा खिलाया जाता है। उस खोली के पसे जाट न दे सका तो उसने भाना को उसके बदले अपनी भैंस दे दी, तो दीना को गांव के ठाकुरों ने भैंस रखने पर पाबंदी लगा दी। गांव के टीले पर ठाकुर राजा का बहुत बड़ा भवन हुआ करता था और भानाजी का मकान नीचे था। महाराजा हमारे मकान के ऊपर से अच्छी तरह देख सकता था। राजा को ध्यान आया कि यह भैंस किसके घर में रखी है, तो राजा के नौकर ने बताया कि भाना नामक भंगी के घर भैंस रखी गयी है। राजा ने उसी समय भानाजी को बुलावा भेजा। जब दीनाजी के पिता भानाजी ने राजा के पास पहुँचे तो राजा ने कहा भाना! तेरे पास भैंस कहाँ से आया? तो भाना ने उत्तर दिया कि जाट से मैंने खरीदी है। ठाकुर राजा ने कहा यह भैंस जाट को वापस देकर आओ, नहीं तो साले को तो दीना का बाप डर गया और भैंस जाट को वापिस करके आया। इस घटना ने दीना को झकझोर दिया और सोचा कि हमारा उद्धार कैसे हो सकता है। हम घृणा के पात्र क्यों हैं? इन सारे सवालों का उत्तर कहीं मिल नहीं रहा था। एकाएक ध्यान में आया कि राजस्थान हमारे लिए ठीक नहीं है और राजस्थान छोड़कर सन् १९४४ में दिल्ली की ओर चल दिए। १९४४ में दीनाजी ने दिल्ली में बाबासाहब अम्बेडकरजी का भाषण सुना और उस भाषण ने तो उनकी आँखें खोल दी क्योंकि बाबासाहब ने अपने भाषण में शिक्षा ग्रहण करने पर ज्यादा जोर दिया था। दीनाजी ने तो स्कूल की दहलीज भी कभी नहीं देखी थी और बाबासाहब का भाषण सुनकर सन् १९४६ में पूना (महाराष्ट्र) चले आये और वहाँ सर्वप्रथम सफाईकर्मी का काम किया। १९४८ में दीनाभाना को सेंट्रल इस्टीच्यूट ऑफ मिल्ट्री एक्सप्लोसिव, पूणे में मजदूर के तौर पर नौकरी मिली। भंगी जाति होने के कारण उनसे साफ-सफाई का काम करवाया जाता था। इस संस्थान में सारे प्रदेशों से आये हुए कर्मचारी विविध पदों पर काम करते हैं। जब मैं पूणे में मजदूर के तौर पर कार्यरत था। तब कभी-कभी लोग वहाँ मन्दिर में धार्मिक स्थल पर धार्मिक पूजा-अर्चना के अंत में प्रसाद बांटा जाता था और मैं सबसे पहले प्रसाद बांटने के लिए खड़ा हो जाता था। कोई मुझे प्रसाद बांटने से मना तो नहीं कर सकता था, परन्तु जब मैं प्रसाद बांटता तो कुछ लोग मुँह फेर लेते थे तो कोई प्रसाद लेकर बाहर जाकर उस प्रसाद को फेंक देते था। यह घटनाक्रम मुझे यह सोचने पर मजबूर करता था कि क्या हम इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कलंक से छुटकारा पा सकते है?

सन् १९६४ में एक ऐसी घटना हुई जिसने फुले-अम्बेडकरी आन्दोलन को एक नया क्रांतिकारी मोड़ दिया। इस्टीच्यूट ने १९६४ के लिए १६ छुट्टियाँ का निर्धारण किया, परन्तु जिन्हें भारत के करोड़ों मूलनिवासी बहुजनों का मुक्तिदाता मानते और जिनका जन्मदिन मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं उस भारतरत्न बाबासाहब डा. अम्बेडकर और विश्वशांति के संदेश वाहक महामानव बुद्ध के जन्मदिन की उस सूची में छुट्टी नहीं थी। इस बात पर उस संस्था के काम करनेवाले अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों ने विरोध किया, परन्तु का मुँह बंद कर दिया। परन्तु कुछ अनुसूचित जाति के कर्मचारी डर गए और स्वाभाविमान और आत्म-सम्मान को ताक पर पर रखकर नौकरी को पहल दी और अपने स्वाभाविमान को बेच दिया।

शेष अगले अंक में...

भाजपा शासित आसाम में लाखों मुस्लिमों की नागरिकता खतरे में

पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम के मोरी गांव के अब्दुल कादिर बंगाली पहचान के लाखों बाशिंदों की तरह कई पीढ़ियों से राज्य में आबाद हैं। उनके पास सन १९४१ से अब तक के सभी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन उन्हें विदेशी यानी बांग्लादेशी करार दिया गया है उन्हें फहरेनर्स ट्राइब्यूनल में अब साबित करना है कि वो बांग्लादेश नहीं हैं। वो कहते हैं, हमारा जन्म यहीं हुआ हमने सारा रिकहर्ड जमा किया है सन् १९४१ से अब तक का मैंने सन १९५० का हज का पासपोर्ट भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल भेज दिया। इसी राज्य में ग्वालपाड़ा की मरजीना बीबी भारतीय नागरिक हैं, लेकिन पुलिस ने उन्हें एक दिन बांग्लादेशी बनाकर गिरफ्तार कर लिया वो आठ महीने तक हिरासत में रह कर आई हैं मरजीना कहती हैं, मेरे चाचा ने सारे कागजात दिखाए, सारे सबूत पेश किए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बांग्लादेशी हूं जेल में मेरे जैसी हजारों औरतें कैद हैं। मरजीना हाईकोर्ट के दखल के बाद जेल से रिहा हो सकी हैं। असम में मुसलमानों की आबादी करीब ३४ फीसदी है उनमें अधिकतर बंगाली नस्ल के मुसलमान हैं जो बीते सौ सालों के दौरान यहां आकर आबाद हुए हैं। ये लोग बेहद गरीब, अनपढ़ और अप्रशिक्षित खेतीहर मजदूर हैं। जिनको सरकार नागरिकता से वंचित कर रखा है क्योंकि ये वहीं नागरिक हैं जिन्होंने बाबा साहब डा. अम्बेडकर को संविधानसभा में भेजा था इसीलिए इन नागरिकों को भाजपा सरकार ने नागरिकता से वंचित कर रखा है जो संविधान की मूलभावना के खिलाफ है।

देश में सक्रिय हिंदू संगठन आरएसएस, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और उसकी सहयोगी स्थानीय पार्टियों का कहना है कि असम में लाखों गैर कानूनी बांग्लादेशी शरणार्थी आकर बस गए हैं। चुनाव आयोग ने बीते दो सालों से वोटर लिस्ट में उन लोगों को श्डी-वोटरश यानी संदेहास्पद नागरिक लिखना शुरू कर दिया है जो नागरिकता के दस्तावेज या सबूत नहीं पेश कर सके। गैर कानूनी बांग्लादेशी बाशिंदों की पहचान के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में असम के सभी नागरिकों की एक सूची तैयार की जा रही है। नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजंस यानी एनआरएस की अंतिम सूची जून में जारी की जाएगी। एआरएस के प्रमुख प्रतीक हाजेला ने बताया कि नागरिकों की इस सूची में उन लोगों को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें डी-वोटर या विदेशी करार दिया गया है। वो कहते हैं कि सभी नागरिकों के वंशानुक्रम (फैमिली ट्री) की जांच हो रही है इसके अलावा २९ लाख औरतों ने पंचायत के प्रमाण पत्र दिए हैं उनकी भी गहराई से जांच की जा रही है।

प्रतीक का कहना है कि इस के नतीजे में नागरिकता और राष्ट्रीयता से कितने लोग बाहर हो जाएंगे ये कहना मुश्किल है। वो कहते हैं, ''ये काम एक परीक्षा की तरह है। इसका पहले से नतीजा बताना सही नहीं है, ये मैं जरूर बता सकता हूं कि इस काम के बाद जो भी तादाद सामने आएगी वो अंतिम और सही होगी।'' सिविल सोसायटी और मानवाधिकारों के लिए काम कर रहे संगठनों का कहना है कि नागरिकता की अंतिम सूची जारी होने के बाद लाखों मुसलमान बेवतन हो सकते हैं। जस्टिस फोरम के अब्दुलबातिन खंडकार कहते हैं कि डी-वोटर्स और घोषित विदोशीश की संख्या करीब पांच लाख है और उनके बच्चों की संख्या पंद्रह लाख होगी ये सभी सूची में शामिल नहीं होंगे। हमे आशंका है कि कम से कम बीस लाख बंगाली नस्ल के बाशिंदे नागरिकता और राष्ट्रीयता से वंचित हो जाएंगे। नागरिकता से वंचित किए जाने वालों को देश से निकालना संभव नहीं होगा। उन्हें बांग्लादेश भेजने के लिए पहले उनकी राष्ट्रीयता की पहचान तय करनी होगी।

दूसरी बात ये कि बंग्लादेश से इस किस्म का कोई समझौता भी नहीं है ये साबित करना भी मुमकिन नहीं होगा कि ये बेवतन होने वाले बाशिंदे बांग्लादेशी नागरिक हैं ये एक बेहद पेचीदा स्थिति है। असम के हालात पर नजर रखने वाले विश्लेषक नीलम दत्ता का कहना है कि ये शुरुआत में मुश्किलें पैदा होंगी, लेकिन अगर किसी नागरिक को विदेशी करार दिया जाए तो उसके लिए कानूनी रास्ता बचा हुआ है। वो कहते हैं, असम में बंग्लादेशियों की आबादी होने का सवाल एक राजनीतिक सवाल है इसे बीजेपी आने वाले संसदीय चुनावों में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगी।

वहीं सरकार ने बेवतन होने वाले लोगों को हिरासत में रखने के लिए कैंप बनाने के उद्देश्य से कई जगहों पर जमीनें हासिल की हैं। राज्य में जोरहट, डिब्रूगढ़, ग्वालपाड़ा, सिल्चर, तेजपुर और कोकराझार की जेलों में पहले ही हिरासत कैंप बने हुए हैं। बीते महीने नागरिकों की पहली सूची जारी हुई थी। कचहार जिले के हनीफ खान ने सूची आने के बाद आत्महत्या कर ली थी। उन्हें अंदेशा था कि अगर सूची में उनका नाम नहीं हुआ तो उन्हें गिरफ्तार करके बांग्लादेश भेज दिया जाएगा उस सूची में उनका नाम नहीं था। नागरिकों की सूची तैयार करे के लिए पूरे प्रदेश में दस्तावेजों की छानबीन जारी है सत्ताधारी बीजेपी को ये अंदाजा है कि नागरिकता से बाहर होने वालों की संख्या काफी बड़ी हो सकती है। लेकिन उनके साथ क्या किया जाएगा इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है। बीजेपी के प्रांतीय प्रमुख रंजीत दास कहते हैं, उन लोगों का नाम वोटरलिस्ट से बाहर हो जाएगा। मानवीय आधार पर भारतीय सरकार उन्हें रहने देगी शायद उनका वोट देने का हक खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ हो सकता है। कुछ तो रास्ता निकालना होगा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता तरुण गोगोई ने ही नागरिकों का रजिस्टर बनाने की शुरुआत की थी। उनका मानना है कि राज्य में बांग्लादेशियों का सवाल सिर्फ राजनीतिक नारा है। उन्होंने कहा, बीजेपी दो साल से सत्ता में है। कितने बांग्लादेशी उसने पकड़े? मेरा ख्याल है कि एनआरएस की सूची में ज्यादा लोग बाहर नहीं होंगे अगर जबरदस्ती किसी को विदेशी करार दिया गया तो हमलोग विरोध करेंगे ये लोकतंत्र है यहां कानून का शासन है।

वहीं पूरे असम में बंगाली मुसलमान गहरे अविश्वास के माहौल में रह रहे हैं। नागरिकता की दूसरी और आखिरी सूची जून के आखिरी में जारी की जाएगी। असम में लाखों मुसलमानों की नागरिकता और राष्ट्रीयता का भविष्य इसी सूची पर निर्भर है।

बहुजनों **का बहुजन भारत** के वार्षिक सदस्यता शूल्क समाप्त हो गया है। वह कृपा वार्षिक सदस्यता शूल्क जमा मात्र २५० रूपये निम्न पते पर मनीआर्डर, डी.डी. या फिर बैंक खाते में भेज सकते हैं। ताकि वार्षिक सदस्यता चालू हो।

-: पता :-

''बहुजनों का बहुजन भारत''

मकान नं. 4765/46 दूसरी मंजिल

रैगरपूरा, करोलबाग,

नई दिल्ली-110005

संपर्क सूत्र-011-64592625

वाट्सअप-9582467665

बैंक का नाम- सिंडिकेट बैंक

खाता सं. 90411010004790

ई-मेलः **mulnivasibharat@gmail.com**

shambhukumarvsl@gmail.com

इस देश की दशा, सत्ता परिवर्तन से नहीं व्यवस्था परिवर्तन से बदलेगी। –राम सुरेश वर्मा

बहराइच/उत्तर प्रदेश

बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा एवं ऑफसूट संगठन का तहसील स्तरीय पिछड़ा वर्ग का एक दिवसीय महासम्मेलन कार्यक्रम 27 फरवरी 2018 को स्थान सुजौली टेंपर बाजार, मेला मैदान मिहीनपुरवा (बहराइच) में मा.रामसुरेश वर्मा (राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय किसान मोर्चा) की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मा.रामसुरेश वर्मा ने कहा कि गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर मूलनिवासी एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक को धोखा दिया और साजिश करके शासक वर्ग द्वारा मूलनिवासियों की गुलामी को मजबूत बनाया। इन यूरेशियन से मूलनिवासियों को आजाद कराना ही बामसेफ का उद्देश्य है। इनकी घर वापसी का बिगुल बजाया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि दिल्ली और लखनऊ में इसका राष्ट्रीय क्रांति किसान मोर्चा का आगाज 15 मई 2018 को विधानसभा के सामने जीपीओ पार्क लखनऊ में व 08 जनवरी 2019 में राष्ट्रीय क्रांति किसान मोर्चा दिल्ली को बन्द करेगी। मा.वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सर्वाधिक झूट बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं। इस देश में हजारों किसान प्रत्येक वर्ष आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और करोड़ों गरीब, भूखे सोते हैं, इस देश की दशा सत्ता परिवर्तन से नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन से सुधरेगी। इससे पूर्व मा.वर्माजी का माल्यापर्ण करके स्वागत किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मा.अर्जुन प्रसाद राज ने कहा कि महापुरूषों के आन्दोलन को बढ़ाने के लिए एक जुट हों, तभी हमारे हक और अधिकार मिलेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मा.लल्लन प्रसाद सोनी ने कहा कि ब्राह्मणवादी ताकतें ओबीसी के हक और अधिकारों का गला घोटती हैं। हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे सामाजिक संगठन बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा के साथ और सहयोग की आवश्यकता है। तथा बामसेफ के जिला अध्यक्ष मा.रमेश भारती ने कहा कि मजलूमों पर आये दिन हो रहे अत्याचारों को अब और ज्यादा सहने की जरूरत नहीं है क्योंकि जागरूक समाज ही इन्हें बाहर का रास्ता दिखायेगा और अपनी आजादी व्यवस्था परिवर्तन करके लेगा।

कार्यक्रम का संचालन मा.शादाब हुसैन ने किया। तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में आये मा. शफी अहमद, मा. प्रमोद कुमार पासवान, डा. सुनील भास्कर, डा.अहमद खान, मा. चांदखां, श्रीमती संगीता भास्कर, मा.मोहन मौर्या (बीएमएम जिला अध्यक्ष) आदि ने भी संबोधित किया।

इस कार्यक्रम में मा.धनपत प्रसाद, डा. ओमप्रकाश, विमल यादव, उमेश भारती, डा.राजकुमार, महेश मझवार, डा.चन्द्रशेखर, जनार्दन रेड्डी, सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इससे पूर्व संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं द्वारा 5000 रूपये की जनआन्दोलन निर्माण निधि राष्ट्रीय प्रभारी जी को भेट की गयी और कार्यक्रम का समापन बामसेफ के तहसील प्रभारी मा.रामसूरत जी ने किया।

धर्म परिवर्तन तो हुआ, लेकिन विचार परिवर्तन नहीं हुआ–वामन मेश्राम

पिछले अंक का शेष...

बुद्ध ने विचार परिवर्तन करने के लिए आधुनिक राष्ट्र और समाज में सबसे ज्यादा जोर दिया। इस बात को समूचे चितक लोग भी मानते हैं। दुनिया में यदि कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हो तो सबसे पहले विचार परिवर्तन लाना होगा। जो लोग विचार परिवर्तन लाने का काम नहीं करते वे लोग केवल मात्र 'लेबल' बदलने का काम करते हैं। लेबर बदलने से बुनियादी परिवर्तन नहीं होता। अगर आप संरचनात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो प्रशिक्षण की जरूरत है।

'अछूत कौन और कैसे?' इस किताब में बा. बासाहब कहते हैं कि हम लोग पहले बौद्ध हुआ करते थे। अगर बाबासाहब कहते हैं कि हम पहले के बुद्धिस्ट थे, तो उन्होंने धर्मान्तरण का नाम क्यों दिया? बाबासाहब ने बौद्ध धर्म को सहज रूप से अपने धर्म को तौर पर स्वीकार करना चाहिए।अपने कार्यक्रम को 'धर्मान्तरण' नाम देने के पीछे भी बाबासाहब की एक रणनीति थी। मूलनिवासी बहुजन समाज के लोगों को अपने पुरखों के इतिहास को, अपनी विरासत का स्वीकार की हैं, उन्हीं जानबूझ कर छोड़ रहे हैं, ऐसा संदेश लोगों के मन–मस्तिष्क में जाना चाहिए, इसलिए बाबासाहब ने अपने कार्यक्रम को 'धर्मान्तरण' का नाम दिया।

कुछ महत्वपूर्ण बातों विचार परिवर्तन के संदर्भ में समझना होगा। जो जातियाँ धर्म परिवर्तन कर रही है, उन जातियों को बाबासाहब ने कहा, यह नाम परिवर्तन है। क्योंकि बाबासाहब डा.अम्बेडकर के सामने महार अपने आप को चोखामेला कहते थे। उत्तर भारत के चमार खूद को रविदासी कहते थे, पंजाब में चुहड़ा जाति के लोग अपने आप को वाल्मीकि कहते थे, दर्जी अपने आप को नामदेव कहते थे। बाबासाहब कहते हैं, यह केवल नाम परिवर्तन है। इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए यदि मूलभूत परिवर्तन करना है तो धर्म परिवर्तन करना होगा।

डा.बाबासाहब अम्बेडकर कहते हैं कि मनुष्य धर्मके लिए नहीं है, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए हैं जो मनुष्य धर्म के लिए होता है वह धर्म को शरण में जाता है। जो शरण में जाता है वह भक्ति करता है, जो भक्ति करता है, उसका सत्यानाश होता है। धर्म को मनुष्य कल्याण करने के लिए विचार करना चाहिए। कल्याण होता है या नहीं होता है, इस संदर्भ धर्म को अपनी खूद की समीक्षा करनी चाहिए। मनुष्यों का कल्याण होता है तो ठीक है, यदि कल्याण नहीं होता है तो कहाँ का धर्म?

बौद्धमय भारत निर्माण के लिए जाति–व्यवस्था के एजेण्डा बनाना होगा–

आज से लगभग ५५ साल पहले अर्थात १९५६ में जब बाबासाहब डा.अम्बेडकर द्वारा नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण की गई,उस दिन उन्होंने भारत को बौद्धमय करने की एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी। समानता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित समाज का निर्माण करने का जो लक्ष्य उन्होंने अपने आन्दोलन के सन्मुख रखाथा, उस बात पर उन्होंने १९२७ को महाड चवदार तालाब सत्याग्रह के दौरान, १९३५ को जब उनके द्वारा 'मैं हिन्दू धर्म में जन्मा हूँ, किन्तु हिन्दू धर्म में नहीं मरूँगा।' यह दी गई घोषणा के दौरान जो दिया। जब भारतीय संविधान की रना करने का अवसर आया तब उन्होंने बुद्ध के चतु:सूत्री को भारतीय संविधान का लक्ष्य बनाया तथा जब १९५६ में धर्म परिवर्तन का कार्यक्रम किया, उस समय भी समता, स्वतंत्रता भाईचारा एवं न्या पर आधारित समाज का निर्माण करने के लिक्ष्य पर जोर दिया।

जब उन्होंने भारत को बौद्धमय करने की बात कही तो स्वाभाविक है कि बौद्धमय करने के पीछे का लक्ष्य यही था कि जब भारत बौद्धमय होगा, तब समता, स्वतंत्रता, भाईचारा एवं न्याय पर आधारित समाज का निर्माण होगा। बाबासाहब की हर बात में महत्वपूर्ण है उनका मकसद। वे पहले अपना मकसद निर्धारित करते थे और फिर उस मकसद को ध्यान में रखकर नीति, रणनीति, कार्यनीति बनाते थे। उस कार्य को अंजाम देने के लिए उद्देश्य के अनुकूल विचारधारा बनाते हैं। यदि हम बाबासाहब के देने के लिए उद्देश्य के अनुकूल विचारधारा बनाते हैं, यदि हम बाबासाहब के समूल जीवन संघर्ष का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि वे अपनी बोली स्वयं निर्धारित करते थे, जो कार्य करना है उसे पूरा करने के लिए वे फैसला लेकर लिखित रूप से लोगों के सामने रखते थे। वे निर्णय लिखाकर लोगों को बता देते थे। मगर उन्होंने वह निर्णय क्यों लिया यह बात कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है।

उन्होंने जो सोंचा वह कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। जो फैसला लिया, केवल उतना ही लिखा हुआ है। मगर लिखी हुई बातें लोगों की समझ में नहीं आती, जो बातें कहीं पर भी लिखी हुई नहीं है, ऐसी बातें बाबासाहब के दिमाग को पढ़कर, उस चीज को पढ़ने का, समझने का प्रयास करना यह बहुत पेचिंदा मामला है। जब बाबासाहब डा. अम्बेडकर ने भारत को बौद्धमय बनाने की घोषणा की, तब उनके पास इस संदर्भ जो योजना थी, उस योजना को ठीक से समझने की जरूरत है। क्योंकि जो संगठन होता है, जो आन्दोलन होता है वह अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए हमेशा रणनीति बना कर काम करता है और जिनके पास क्योंकि लड़ाई शुरू होने से पहले एक आंतरिक युद्ध चलता है, वह युद्ध होता है लड़ाई के लिए संसाधनों की निर्मित करना। जहाँ तक बुद्ध का सवाल है, कुछ लोग सोंचते हैं कि बुद्ध तो एक धार्मिक व्यक्ति थे, उनके संदर्भ में 'रणनीति' शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं होगा। क्योंकि 'रणनीति' यह शुद्ध राजनीतिक शब्द है। मगर हमारे लोग यह भूल जाते हैं कि रणनीति केवल मात्र राजनीति की ही नहीं होती। जहाँ रणनीति होती है वहीं पर सफलता होती है। जिनके पास रणनीति नहीं होती, वे सफल नहीं होते।

शेष अगले अंक में...

क्या भारत में डेमोक्रेसी है और अगर है, तो कितनी है और कैसी है?-वामन मेश्राम

(अंक सं.४ का शेष अंश)

नरेन्द्र मोदी ओबीसी का प्रधानमंत्री है और वह ओबीसी के विरोध में बड़े-बड़े फैसले दे रहा है। इसका मतलब यह है कि, ये जो ओबीसी का प्रधानमंत्री है, यह ब्राह्मणों के द्वारा नोमिनेटेड है, इसलिए जिन लोगों ने उसे नोमिनेट किया, पॉवर उनका है, जिसको नोमिनेट किया उसका पॉवर नहीं है।

इसका मतलब है कि ओबीसी के पास भी कोई रिप्रजेन्टेशन नहीं है। ओबीसी के जाति आधारित गिनती का समय था और ओबीसी के साढ़े आठ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इसके बारे में बयान तक नहीं दिया और अपने मंत्रीमण्डल में कागज पर रेजोलुशन तक पास नहीं किया। उन्होंने ओबीसी की जाति आधारित गिनती के बारे में प्लानिंग कमीशन को चिट्ठी तक नहीं लिखा और ना ही जनगणना कमिश्नर को भी चिट्ठी नहीं लिखा। किसी भी ओबीसी के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी तक नहीं लिखा। संकटकाल में ओबीसी का मुख्यमंत्री अगर ओबीसी के समर्थन में खड़ा ना हो तो, फिर कब खड़ा होगा? इसका मतलब यह है कि अगर वो खड़ा नहीं हो रहा है, तो वह ओबीसी का मुख्यमंत्री तो है, मगर ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है। वह ओबीसी का प्रधानमंत्री है, मगर ओबीसी का प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का महत्व समझना जरूरी है। जो मौलिक लोकतंत्र होता है, वह लोकतंत्र प्रतिनिधित्व पर आधारित है। भारत में शेड्यूल्ड कास्ट को रियल रिप्रजेन्टेशन नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राईब को रियल रिप्रजेन्टेशन नहीं है और ओबीसी को रियल रिप्रजेन्टेशन नहीं है, जो एससी, एसटी और ओबीसी का आदमी जोर से बोलता है, चाहे लालू बोलता है, चाहे नितिश बोलता है, चाहे मायावती बोलती है या मुलायम सिंह बोलता है या फिरऔर कोई भी ओबीसी का आदमी बोलता है। उसके पीछे सीबीआई और इन्फोर्समेन्ट डिपार्टमेन्ट के लोग लगाये जाते हैं। जैसे की कांग्रेस और बीजेपी के लोग बहुत शुद्ध लोग हैं और बहुत पवित्र लोग हैं। कांग्रेस और बीजेपी के जैसे भ्रष्ट लोग कहना गलत होगा, बल्कि यह भ्रष्टाचार की गंगा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। यहाँ भ्रष्टाचार की गंगोत्री कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार यहीं से जन्म लेता है। इसका अर्थ समझना जरूरी है। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है तो भ्रष्टाचार कांग्रेस और बीजेपी से निकलता है।

इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है कि २०१४ के चुनाव में बीजेपी ने ३० हजार करोड़ रूपये खर्चा किया और कांग्रेस ने १७ हजार करोड़ रूपये खर्चा किया। बीजेपी और कांग्रेस के पास यह पैसा कहाँ से आता है? क्या इनके घरों में नोटों का टकसाल है या कारखाना है? क्या ये लोग नोट छापते हैं? मैं आपलोगों को यह बताना चाह रहा हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राईब और ओबीसी का कोई रियल रिप्रजेन्टेशन नहीं है। जब रिप्रजेन्टेशन ही नहीं है तो हमारे लिए लोकतंत्र कहाँ है?

आप मायनॉरिटी का ले लो। भारत में सबसे बड़ी मायनॉरिटी मुसलमान है। आज मुसलमानों के रिप्रजेन्टेशन की क्या स्थिति है? भारत की जनसंख्या के अनुपात में मुसलमानों का रिप्रजेन्टेशन के अनुसार ८८ एमपी होना चाहिए। मगर आज २२ एमपी है और यह २२ एमपी भी क्या है? यह २२ एमपी भी केवल संख्या है। यह २२ एमपी भी प्रतिनिधित्व नहीं हैं। अगर ये बोलते हैं तो प्रतिनिधित्व है। मगर ये केवल गिनती में २२ हैं। वे संसद में कभी बोलते ही नहीं हैं। कांग्रेस के एक नेता हैं गुलाम नवी आजाद। मैं मुसलमानों पर इतना अन्याय होता हुआ देखता हूँ मगर गुलाम नवी आजाद को मुसलमानों पर हो रहे अन्याय के खिलाफ कभी बोलते हुए नहीं देखा। वैसे वे बहुत बोलते हैं, मगर मुसलमानों के समस्याओं पर वे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं। वो गुलाम भी हैं और आजाद भी है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो दोनों कैसे हैं? मगर हैं! जो भी है, मगर मुसलमानों का रिप्रजेन्टेशन नहीं हैं। वास्तव में लोकतंत्र में क्या चाहिए? वास्तव में लोकतंत्र में रिप्रजेन्टेशन चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी और मायनॉरिटी के ८५

प्रतिशत लोगों को रिप्रजेन्टेशन चाहिए। मगर कहाँ है रिप्रजेन्टेशन? इनका रिप्रजेन्टेशन नहीं है।

अब ब्राह्मण को छोड़कर क्षत्रिय अर्थात राजपूत और वैश्य लोग हैं। ब्राह्मणों की पाँच नेशनल लेवल की पार्टियाँ हैं। कांग्रेस ब्राह्मणों की पार्टी है। बीजेपी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी और तृणमूल कांग्रेस भी ब्राह्मणों की पार्टी है। देश में ब्राह्मणों की पाँच राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं। केन्द्र में सरकार ब्राह्मणों की है और विरोधी पार्टी भी ब्राह्मणों की है। दूसरी आपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की है और तीसरा आपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की है। राज्यों में सरकार या तो कांग्रेस की है या बीजेपी की है। इसका मतलब है कि एक सरकार ब्राह्मणों की है तो दूसरी सरकार भी ब्राह्मणों की है। कांशीराम जी कहते थे कि एक नागनाथ है और एक सां. पनाथ है। इसका मतलब है कि नागनाथ डंस ले तो मरना तय है और सांपनाथ डंस ले तो भी मरना तय है। राज्यों में भी कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें है। राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के आलावा जो अन्य सरकारें हैं जैसे नीतिश कुमार की जेडीयू की सरकार बिहार में है। वह कल तक कांग्रेस के सपोर्ट में थी, मगर आज बीजेपी के सपोर्ट में है। कांग्रेस और बीजेपी के बाहर ओबीसी के मुख्यमंत्री की जो सरकारें हैं, वे सरकारें भी बीजेपी या कांग्रेस के समर्थन में है, यानि वो भी स्वतंत्र नहीं है। मैं आपको भारत के लोकतंत्र की आज की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। आज भारत में जो लोकतंत्र है, वह लोकतंत्र ब्राह्मणों के नियंत्रण, निर्देशन और पर्यवेक्षण में चल रहा है। भारत का लोकतंत्र ब्राह्मणों के प्रभाव में चल रहा है। क्षत्रिय लोगों को भी ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई पार्टी से टिकट मांगनी पड़ती है। क्षत्रियों की संख्या भारतवर्ष में ६ प्रतिशत है और ब्राह्मणों की संख्या ३.५ प्रतिशत है। ३.५ प्रतिशत ब्राह्मणों की पाँच राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं और ६ प्रतिशत क्षत्रियों की एक भी पार्टी नहीं है, न नेशनल लेवल की है और ना ही स्टेट लेवल की है। उत्तर प्रदेश में अमर सिंह (क्षत्रिय) ने स्टेट लेवल की पार्टी बनाने की कोशिश की थी। वह अमर हो गया, मगर पार्टी नहीं बना पाया।

वैश्यों की कोई पार्टी नहीं है। गाँधीजी कांग्रेस के नेता रहें, मगर उनके बाद वैश्यों की कोई पार्टी नहीं रही। अभी केजरीवाल बनिया है। मगर केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में जितने भी ब्राह्मण हैं, वे सारे के सारे केजरीवाल पर पिले हुए हैं। अभी मिश्रा ने केजरीवाल के खिलाफ में आन्दोलन चलाया। अभी एक और ब्राह्मण उसके खिलाफ आन्दोलन चला रहा है। अभी जितने भी ब्राह्मण केजरीवाल की पार्टी में हैं, वे केजरीवाल के खिलाफ में मामला चला रहे हैं। यानि ब्राह्मण चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी पर भी ब्राह्मणों का नियंत्रण रहे। बनिया केजरीवाल इसके लिए राजी नहीं हो रहा है। अर्थात ब्राह्मणों और वैश्य के बीच में लड़ाई चल रही है। जो क्षत्रिय और वैश्य है, उनको भी ब्राह्मणों के पाँचों नेशनल पार्टियों से टिकट मांगना पड़ता है। जिनकी पाँच नेशनल लेवल की पार्टियाँ है, वो किसी के पास टिकट मांगने के लिए नहीं जाते हैं बल्कि ब्राह्मण टिकट देते हैं और टिकट बाँटते हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपको भारत के लोकतंत्र की सारी स्थिति मालूम हो जाए।

अब उससे आगे जो भयानक परिस्थिति है कि अगर कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी और बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। २००४ में बीजेपी गई तो कांग्रेस आ गई और २०१४ में कांग्रेस गई तो बीजेपी आ गई। यानि बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है और कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है। बाबासाहब अम्बेडकर कहते थे कि जो सांसदीय लोकतंत्र है, उसमें अगर प्रभावशाली लोकतंत्र चलना चाहिए तो द्वि-दलीय जनतंत्र होना चाहिए। द्वि-दलीय जनतंत्र का क्या अर्थ है? द्वी-दलीय जनतंत्र में एक रूलिंग पार्टी (सत्ता पक्ष) होनी चाहिए और एक अपोजिशन पार्टी (विपक्ष) होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर लोकतंत्र सफल होगा। लोकतंत्र को सफल होने के लिए बाबासाहब ने शर्त बताई कि अपोजिशन पार्टी मजबूत होना चाहिए। भारत में रूलिंग पार्टी (बीजेपी) भी ब्राह्मणों की और अपोजिशन पार्टी (कांग्रेस) भी ब्राह्मणों की है।

(शेष पृष्ठ ८ पर पर...)

प्रेषक,
''बहुजनों का बहुजन भारत''
(हिन्दी साप्ताहिक)
4765/46(तीसरी मंजिल) रैगरपुरा,
करोलबाग नई दिल्ली-110005
दूरभाषः 011-64592625

प्रति,

TUESDAY/WEDNESDAY
RNI. No. DELHI N/2000/2450
POSTAL REGD. No. DL (C) -14/1129/2018 -20
LINCENSED TO POST WITHOUT PRE PAYMENT
REGD. No. U (C) - 258/2018-2020
POSTAGE AT SRT NAGAR, NEW DELHI

केन्द्रीय कार्यालय : 4765/46, रैगरपूरा, करोलबाग, नई दिल्ली-110005 दूरभाष-011-64592625

क्या भारत में डेमोक्रेसी है और अगर है, तो कितनी है और कैसी है?-वामन मेश्राम

(पृष्ट ७ का शेष अंश)

आपने बताया कि एक ब्राह्मण, दूसरे ब्राह्मण का विरोधी नहीं हो सकता है। एक जालिम का दूसरा जालिम कैसे विरोधी हो सकता है? एक जालिम का विरोधी दूसरा जालिम नहीं हो सकता है। भारत के लोकतंत्र में एक जालिम केन्द्र सरकार पर काबिज है और दूसरा जालिम अपोजिशन में है। वास्तव में भारत में अपोजिशन है ही नहीं। थर्ड अपोजिशन में भी ब्राह्मण की ही हैं। फोर्थ अपोजिशन में भी ब्राह्मण ही हैं। अगर ऐसी परिस्थिति है तो इसका मतलब है कि भारत में वन कास्ट (एक जाति का) डिक्टेटरशीप स्थापित कर दी गई है। दुनिया में हो सकता है कि एक आदमी (वन मैन) की डिक्टेटरशीप हो, मगर भारत में वन कास्ट डिक्टेटरशीप प्रस्थापित कर दी गई है। मैं आपको नई बात बता रहा हूँ। यह आपके लिए चौकाने वाली बात होगी। दुनिया में आपलोगों ने एक आदमी की डिक्टेटरशीप सुनी है, मगर भारत में आज के तारीख में वन कास्ट डिक्टेटरशीप लागू कर दी गई है। आप भारत में वन कास्ट डिक्टेटरशीप है।

अगर भारत में वन कास्ट डिक्टेटरशीप है तो इसको परिवर्तन करने के लिए क्या करना होगा? अगर आप चुनाव के द्वारा परिवर्तन करना चाहते हो तो चुनाव के द्वारा इसे परिवर्तन करना ब्राह्मणों ने असम्भव बना दिया है। चुनाव के द्वारा इस परिस्थिति में परिवर्तन करना, उन्होंने लगभग असम्भव कर दिया है। क्योंकि कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी और बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी। कांग्रेसी का अपोजिशन बीजेपी ही होना चाहिए, इसका भी प्लान कांग्रेस ने बनाया और प्लान बनाकर कांग्रेस ने बीजेपी को अपोजिशन में लाकर खड़ा कर दिया। इसके लिए खुद कांग्रेस ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला खड़ा किया और इस मामला को खड़ा करके बीजेपी को अपोजिशन में लाकर खड़ा कर दिया। २००४ और २००९ में हमने (कांग्रेस) ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता और बीजेपी ने वो घोटाला पकड़ा तथा कांग्रेस और बीजेपी में गुप्त समझौता हुआ कि आप (बीजेपी) इसके विरोध में चुप रहो और २०१४ और २०१९ में तुम (बीजेपी) भी घोटाला करके चुनाव जीत लो। दो बार हमने (कांग्रेस) घोटाला किया है तो दो बार तुम भी (बीजेपी) घोटाला करके चुनाव जीत लो।

२०१४ में बीजेपी के द्वारा ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता गया और इसके मेरे पास दस्तावेजी सबूत है। इसका किसी के पास भी सबूत नहीं है, केवल मेरे पास सबूत है। मैंने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सबूत इकट्ठा करने का प्लान बनाया था, मगर चुनाव आयोग को मालूम हो गया। सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने की वजह से मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज दाखिल किया था, उसकी वजह से चुनाव आयोग को मालूम हो गया कि हमलोगों ने कैसे दस्तावेजी सबूत इकट्ठा किए, इसलिए चुनाव आयोगों ने उत्तर प्रदेश चीफ इलेक्शन ऑफिसर और डिस्ट्रीक इलेक्ट्रोल ऑफिसर को मौखिक आदेश दिया कि अगर कोई भी आदमी आपके पास पोल्ड वोट (मतदान किए हुए वोट) का आँकड़ा मांगने आएगा और काउन्टींग के बाद का आँकड़ा मांगने के लिए आएगा तो किसी को भी ये आँकड़े मत देना।

पोल्ड आँकड़ा जो सारे देश के लोगों के सामने होता है, वो आँकड़ा उत्तर प्रदेश के चुनाव आयोग के अधिकारियों ने देने से इन्कार कर दिया। उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेन्ट्री ई. विडेन्स है। हमारा एक परिचित कैंडिडेट वाराणसी में चुनाव अधिकारी के पास गया और उससे कहा कि मुझे पोल्ड वोट और काउन्टींग के बाद के दोनों आँकड़े चाहिए तो उसने कहा कि ये आँकड़े नहीं मिलेंगे। रिटर्निंग ऑफिसर कह रहा है कि अगर मान लो की ६० प्रतिशत मतदान हुआ और काउन्टींग में ६५ प्रतिशत वोट निकला तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी। यह बात रिटर्निंग ऑफिसर खुद कह रहा है। इसलिए उस इलेक्शन ऑफिसर ने कहा कि मैं कोई आँकड़ा नहीं दे सकता हूँ। यानि चुनाव सम्पन्न कराने वाले अधिकारियों को भी मालूम है कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो रहा है।

वाराणसी में नरेन्द्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। मान लो कि टोटल वोट दस लाख हुए, मगर काउन्टिंग में ११ लाख ८७ हजार वोट निकले। मतदान १० लाख हुआ और काउन्टिंग में ११ लाख ८७ हजार वोट निकले अर्थात काउन्टिंग में १ लाख ८७ हजार वोट ज्यादा निकलें। इतने तेजी से तो मुर्गी भी अण्डे नहीं देती है, जितने तेजी से ये ईवीएम मशीन वोट देती है। चुनाव आयोग ने जब जाँच का आदेश दिया तब जाँच में वाराणसी में २०१४ के लोकसभा चुनाव में साढ़े छः लाख फर्जी वोटर पाए गए। ये जाँच रिपोर्ट चुनाव आयोग ने घोषित किया। साथियों, ये जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि कांग्रेस ने प्लान बनाकर बीजेपी को जितवाया।

बीजेपी ताकतवर पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने पहला प्लान बनाया। कांग्रेस ने रामजन्म भूमि और बाबरी मस्जिद के मुद्दे को इस तरह से हवा दी कि बीजेपी मजबूत पार्टी बनकर उभरकर सामने आ गई और बीजेपी अपोजिशन पार्टी बनी। बीजेपी को अपोजिशन पार्टी बनाने का श्रेय कांग्रेस को है। कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया और बीजेपी को मुख्य विपक्षी पार्टी क्यों बनाया? क्योंकि बीजेपी अगर मुख्य विपक्षी पार्टी बनती है तो मुसलमानों के जो १५ प्रतिशत वोट है, वो आँख लगाकर कांग्रेस को पड़ते रहेंगे। यह बहुत खास बात आपको बता रहा हूँ। बीजेपी अगर विपक्षी पार्टी बनती है तो मुसलमानों के १५ प्रतिशत वोट है, जिसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो आँख लगाकर कांग्रेस को वोट डालेंगे। इस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी को मुख्य विपक्षी पार्टी बनाया। कांग्रेस को ईवीएम के कारण संकट पैदा हुआ तो कांग्रेस ही बीजेपी को बहुमत दिलवाने के लिए सौदा करना पड़ा और बीजेपी को २०१४ के लोकसभा चुनाव में ३१ प्रतिशत वोट पड़े और बीजेपी को २८३ सीटें मिली। इस तरह से गैर-संवैधानिक तरीके से ब्राह्मणों ने प्लान बनाकर भारत में एक रूलिंग पार्टी ब्राह्मणों की और दूसरी भी अपोजिशन पार्टी ब्राह्मणों की बनायी।

भारत में जो सांसदीय जनतंत्र है, इसमें रूलिंग पार्टी भी ब्राह्मणों की और अपोजिशन पार्टी भी ब्राह्मणों की है। इसलिए भारत में अपोजिशन पार्टी नहीं है। क्योंकि एक ब्राह्मण का विरोधी दूसरा ब्राह्मण हो नहीं सकता है। इसलिए भारत में विरोधी पार्टी वजूद में नहीं है। लोकतंत्र को सफल करने के लिए विरोधी पार्टी का होना अनिवार्य है और भारत में विरोधी पार्टी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि भारत में परिस्थितियाँ जो चौधरी साहब ने कहा, उससे कई गुना ज्यादा परिस्थितियाँ खराब है।

इतनी ज्यादा खतरनाक परिस्थिति देश में विकसित कर दी गई है कि चुनाव के द्वारा इस परिस्थिति को बदलना ब्राह्मणों ने लगभग असम्भव बना दिया है। चुनाव के द्वारा आप उनको कमजोर कर सकते थे, मगर इसे ईवीएम के द्वारा उन्होंने असम्भव कर दिया है। ये जो परिस्थिति ब्राह्मणों ने विकसित कर दी है, इस परिस्थिति में हमलोगों को कैसे रास्ता निकालना होगा? ये हमारे सामने सबसे बड़ा संकट है। ये जो संकट है, इस संकट का हमें समाधान करना होगा। अगर हमारे पास इसका बौद्धिक समाधान भी नहीं है, तो हम तो किसी भी प्रकार से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमारे पास निश्चित रूप से समाधान होना चाहिए और उस समाधान पर सारे देशभर में चर्चा होनी चाहिए और लोगों की राय बनानी चाहिए तब जाकर हम इसके विरोध में लोगों के जनमत बना सकते हैं। लोगों का एक आन्दोलन हम खड़ा कर सकते हैं और ऐसा हम लोगों को करना होगा। ऐसा करने के लिए हमलोगों को बहुत सी बातें सिखनी होगी। मुझे बहुत विस्तार से आपको बताना पड़ा कि आज जो परिस्थिति निर्माण हो गई है, इसके लिए १८८५ से ही प्लान बन रहा है। १८८५ से जो प्लान ब्राह्मणों द्वारा बन रहा था, उस वजह से ऐसा हो रहा है। यह इतना आसानी से नहीं हो रहा है और इतनी जल्दबाजी से नहीं हो रहा है। इसलिए यह परिस्थिति बहुत ज्यादा गम्भीर है। इस परिस्थिति को परिवर्तन करने के लिए हमें रास्ते तलाशने होंगे और आने वाले दिनों में हम ये रास्ते तलाशने की कोशिश करेंगे।

''बहुजनों का बहुजन भारत'' के इस अंक में प्रकाशित होनेवाले लेखकों के विचारों से संपादक सहमत है, ऐसा नहीं है।

बहुजनों का बहुजन भारत, हिन्दी साप्ताहिक मुद्रक, मालिक, प्रकाशित तथा संपादक-वामन चिंधूजी मेश्राम द्वारा वैदिक मुद्रणालय, 3957 गली अहीरान पहाड़ी धीरज, दिल्ली-10006 यहाँ मुद्रित कर म.नं० 4765/46(तीसरी मंजिल) रैगरपुरा, करोलबाग, नई दिल्ली-05 से प्रकाशित।